

# हरियाणा राज्य बाल भवन मधुबन (करनाल)

## प्रवेश-पत्र

1. बच्चे का नाम.....

2. पिता का नाम.....

3. माता का नाम.....

4. बच्चे की जन्म तिथि.....

5. पिता/माता/संरक्षक का व्यवसाय.....

अ) मकान/कच्चा/पक्का/..... व जमीन.....

6. जाति व धर्म.....

7. संरक्षक की आय.....

8. बच्चा किस कक्षा में पढ़ रहा है : .....

9. पत्र व्यवहार का स्थायी पता : .....

10. किन कारणों से बच्चे को प्रवेश दिलाना चाहते हैं।  
.....

11. बच्चे के स्वास्थ्य की स्थिति .....

12. क्या बाल भवन मधुबन या बाल ग्राम राई में घर का कोई बच्चा दाखिल है।  
हाँ.....नाँ.....

13. अन्य परिवारिक विवरण : (भाई-बहन)

14. अन्य विवरण.....

मैं.....पुत्र/पत्नी श्री/श्रीमति.....मो नो.....

गांव/कस्बा.....तहसील.....जिला.....

सत्य निष्ठा से घोषणा करता हूँ कि ऊपर दिया गया विवरण सत्य है और इसमें कुछ नहीं छिपाया गया है

दिनांक.....

स्थान.....

आवेदक के हस्ताक्षर

## प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैं प्रार्थी को जानता हूँ और प्रार्थना पत्र में दिया गया विवरण और जहाँ तक मेरी जानकारी का सम्बन्ध है उपयुक्त घोषणा ठीक है।

साक्षिप्त करने वाले अधिकारी  
के हस्ताक्षर तथ्य पर

# आवश्यक निर्देश

1. बच्चे की आयु 7 से 12 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
2. बच्चा पूर्ण रूप से हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
3. प्रार्थना पत्र बच्चों के माता/पिता/संरक्षक द्वारा भरा होना चाहिए।
4. प्रवेश पत्र ग्राम सरपंच, नगरपालिका आयुक्त, विधायक, संसद सदस्य अथवा हरियाणा सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।
5. प्रवेश पत्र प्रधानाचार्य, हरियाणा राज्य बाल भवन मधुबन, करनाल के नाम से होना चाहिए।
6. बच्चे को संस्था के सभी नियमों के साथ अनुशासन का पालन करना पड़ेगा। यदि इसकी अवहेलना की गई तो बच्चे को बिना किसी कारण बताए संस्था से निष्कासित किया जा सकता है।

## जांच अधिकारी की रिपोर्ट :-

## चयन समिति का निर्णय :-

### रूप निर्धार

मैं इस प्रवेश पत्र को प्रमाणित करने के लिए तैयार हूँ।